अपर समाहर्त्ता, दुमका का न्यायालय

आर0एम0ए0 वाद सं0—43/2011—12

नीलम देवी, पति— स्व0 दिनेश प्र0 साह, ग्राम—अम्बा, थाना—तालझारी, अंचल—जरमुण्डी एवं अन्य—**बनाम्**—नरेश राय, पिता— स्व0 मोहन राय, ग्राम—अम्बा, थाना—तालझारी, अंचल—जरमुण्डी एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
17·5·23	(नीचे आदेश देखें)	

आदेश

प्रस्तुत आर0एम0ए0 वाद सं0—43/11—12 नीलम देवी, पति—स्व0 दिनेश प्र0 साह, ग्राम—अम्बा, थाना—तालझारी, अंचल—जरमुण्डी, जिला—दुमका एवं अन्य के द्वारा नरेश राय, पिता—स्व0 मोहन राय, ग्राम—अम्बा, थाना—तालझारी, अंचल—जरमुण्डी, जिला—दुमका एवं अन्य तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 केस नं0—54/2003—04 में पारित आदेश दिनांक—14.02.2008 के विरूद्ध अपीलवाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा समर्पित अपने लिखित बहस में वर्णित किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश दिनांक—14.02.2008 के द्वारा अपीलकर्त्ता को अपनी पैतृक भूमि से उच्छेद का आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। मौजा अम्बा के दाग नं0—50 अपीलकर्त्ता की अपनी पैतृक भूमि है। उक्त भूमि पर उनके दादाजी पूर्व से दखल भोग करते आ रहे है एवं दाग नं0—50 एवं 82 पर अनुमंडल पदाधिकारी, का उच्छेद करने का आदेश गलत है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा समर्पित लिखित बहस में यह भी वर्णित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता के दादाजी के द्वारा "जल है जान् है" परियोजना अन्तर्गत सरकारी कुआँ का निर्माण कराया गया जो अपीलकर्त्ता के पुराना अधिकार एवं दखल को प्रमाणित करता है।

विपक्षी लगातार अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी को वाद की कार्रवाई में कोई अभिरूची नहीं है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि अंचल जरमुण्डी के मौजा अम्बा के दाग सं0—50 अपीलकर्त्ता का अपना पैतृक भूमि है, जिससे अपीलकर्त्ता को उच्छेद करना सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 केस सं0—54/03—04 में पारित आदेश को संशोधित करते हुए अपीलकर्त्ता को मौजा अम्बा के दाग सं0—50 से उच्छेद करने के आदेश को निरस्त किया जाता है।

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2023.07.06 17:09:16 +05:30
Location: 10.93.16.27

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
दुमका

अपर समाहर्त्ता,
दुमका